संख्या : 19-दो(5)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(5)/07

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
त्वरित न्यायालय परिसर, देहरादून ।

न्याय अनुभाग - 2

देहरादून : दिनांक : 19 मार्च, 2008

विषय- पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1025/रा०वि०से०प्रा०/देहरादून-2007-08, दिनांक 14.3.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 4-दो(5)/XXXVI(1)(2)/2007-1-दो(5)/07, दिनांक 17.7.2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपयोगार्थ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में मानक मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद एवं मद संख्या-13-टेलीफोन पर व्यय के सम्प्रति बजट में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण तथा वर्तमान में आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद संख्या-07-मानदेय में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मदों में रुपये 22,000/-(बाइस हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यावर्तित कर व्यय करने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(I) प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०-13 में अंकित कर उपलब्ध कराया जाय ।

(II) उक्त धनराशि बजट मैनुअल के सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी ।

(III) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00-15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद" से किया जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या यू०ओ० 1518/XXVII(5)/2008,दिनांक 18.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : बी०एम०-15

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 19-दो(5)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(5)/07 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

बी. एम.–15

पुनर्विनियोग 2007–2008 आयोजनेत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम– सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ।
प्रशासनिक विभाग का नाम– न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है ।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
1		2	3	4	5		6	7	8
2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00–					2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर –800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण–00–				क–बचत होने के कारण । ख– प्राविधान कम एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण ।
07–मानदेय	50	12	13	25 क	13–टेलीफोन पर व्यय	2	102	28	
					15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	20 ख	300		
	50	12	13	25		22	402	28	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या-1518-क/वित्त अनुभाग-5/2008
देहरादून : दिनांक : 18 मार्च, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
माजरा, देहरादून ।

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या–19–दो(5)/XXXVI(1)/2007-08-1-दो(5)/07–तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन ।
4– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव